सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–2431/2017

उनवान

1– रतनसिंह पिता माधुसिंह राजपूत, निवासी धुंवालिया, तह.हुरडा ।
2– हिम्मतसिंह पिता गणपत सिंह, राजपूत निवासी, धुंवालिया हाल मुकाम गुलाबपुरा तहसील हुरडा ।
3– शायर कॅवर पत्नि गणपतसिंह राजपूत , निवासी धुंवालिया, हाल मुकान गुलाबपुरा तहसील हुरडा ।
4– महेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह , निवासी धुंवालिया, तहसील हुरडा।
5– भॅवरसिंह पिता गोपालसिंह,राजपूत, निवासी धुंवालिया तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1– रामप्रसाद पिता ज्वारा जाट , निवासी धुंवालिया, तहसील हुरडा ।
2– गंगाराम पिता भागीरथ जाट, निवासी धुंवालिया, तहसील हुरडा ।
3– माधु पिता भागीरथ जाट, निवासी धंवालिया, तहसील हुरडा ।
4– सूरजकॅवर पुत्री गोपालसिंह, निवासी धुंवालिया, तहसील हुरडा ।
5– मंशा कॅवर पत्नि रतनसिंह राजपूत, निवासी धुंवालिया, तह. हुरडा ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री युगलकिशोर , वकील वादीगण ।
श्री दिनेश तिवाडी , वकील प्रतिवादी संख्या– 1 से 3

<u>वादपत्र अर्न्तगत धारा–183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–: निर्णय :–

दिनांक– 28.05.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वाके जमाबन्दी ग्राम धुंवालिया पटवार हल्का सरेरी तहसील हुरडा में वादीगण एवं प्रतिवादीसंख्या– 4 व 5 की खातेदारी की आराजी स्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है –
खाता संख्या– 57 आराजी नम्बर– 576 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर– 664/4 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर– 665/4 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर– 667/5 रकबा 01 बीघा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा ।
खाता संख्या– 58– आराजी नम्बर– 664 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर– 664/2 रकबा 00 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर– 665/1 रकबा 00 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर– 665/2 रकबा

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

00 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर– 667/2 एकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर– 667/3 एकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर– 668/2 एकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर– 668/3 एकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, कुल किता 8 एकबा 07 बीघा 08 बिस्वा । खाता संख्या– 273– आराजी नम्बर– 664/3 एकबा 00 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर– 665/3 एकबा 00 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर– 667/1 एकबा 01 बीघा 00 बिस्वा, आराजी नम्बर– 667/4 एकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर– 668/1 एकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर– 668/4 एकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, कुल किता 6 एकबा 07 बीघा 06 बिस्वा ।

2– वाद पत्र की कलम संख्या1 व 2 में वर्णित सहखातेदार गणपतसिंह व गोपालसिंह की मृत्यु हो चूकी है जिससे गणपतसिंह विधिक वारिसान वादी संख्या– 2 व 3 व गोपाल सिंह के विधिक वारिसान वादी संख्या– 4 व 5 तथा प्रतिवादी संख्या– 4 को पक्षकार कायम किया गया है ।

3– वाद पत्र की कलम संख्या– 1 में वर्णित कृषि आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 4 व 5 का कब्जाकाश्त चला आ रहा है ।

4– प्रतिवादी संख्या– 1 2 व 3 जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 4 व 5 की कृषि आराजी के पडौसान है जिन्होने अनाधिकृत एवं अवैधानिक रुप से वाद पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित कृषि आराजी में अनाधिकारपूर्वक डोल डालकर अवैधानिक रुप से दिनांक 20.01.2014 को अतिक्रमण कर लिया जिस पर वादीगण ने न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर महादेय, गुलाबपुरा के समक्ष एक राजस्व वाद प्रकरण संख्या– 51/2014 वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु प्रस्तुत किया जिसकी पालना में दिनांक 02.06.2015 को न्यायालय श्रीमान आपके आदेशानुसार वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी की गई परन्तु प्रतिवादी सं.– 1 2 व 3 असन्तुष्ट होकर चले गये तथा वादीगण की कृषि आराजी में डाले गये डोल को हटाने से साफ इन्कार हो गये ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5– प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 3 अनाधिकारपूर्वक डोल डाल कर वादीगण के कृषि आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे हटाया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है ।

6– वादीगण को बिनाय वाद दिनांक पत्थरगढी की पालना दिनांक 02.06.2015 को पत्थरगढी की पालना से असन्तुष्ट होकर चले जाने व डाले गये डोल को हटाने से इन्कार करने के कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

7– अन्त में अंकित किया गया कि बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 2 व 3 इस आशय की बेदखल की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें की वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या– 1 में वर्णित कृषि आराजी से प्रतिवादी संख्या–1 2 व 3 के द्वारा डाले गये डोल

Scanned by CamScanner

को हटवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ।

8– प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा का अवसर चाहा गया । वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 व 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रतिवादी संख्या– 4 व 5 के विरुद्ध कार्यवाही दिनांक 12.03.2018 को ड्राप की गई ।

9– तत्पश्चात प्रकरण आज लोक अदालत केम्प कोर्ट सरेरी पर पेश हुआ । वादी रतनसिंह, महेन्द्रसिंह, हिम्मतसिंह व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । प्रतिवादी रामप्रसाद व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अन्तिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करनें पर वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 आराजी मुतदाविया के पडौसी है । जिनके द्वारा अनाधिकृत एवं अवैधानिक रुप से वादपत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में डोल डालकर दिनांक 20.01.2014 से अतिक्रमण कर रखा है जिसे हटवाया जाकर कब्जा वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 4 व 5 को दिलाया जावें । इसके विपरीत वकील प्रतिवादी का कथन था कि प्रतिवादी के द्वारा वादी की आराजीयात में डोल लगाकर अतिक्रमण नही कर रखा है बल्कि प्रतिवादी के स्वयं की खातेदारी आराजीयात में वर्षो पूराना डोल लगा हुआ है । वादीगण की आराजीयात की जो पत्थरगढी हुई है वह गलत नपती के कारण वादीगण को यह गलत अनदेशा हुआ है । इसलिये वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजीयात की पुनः नपती करवा ली जावें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । इस पर वकील वादी के द्वारा भी अपनी सहमति व्यक्त की गई ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10– मैंने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है –

11– वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 मौजा धुवालिया पटवार हल्का सरेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 576, 644/4, 665/4, 667/5 किता 4 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा भूमि गणपत सिंह , गोपाल सिंह, रतनसिंह, पिता माधुसिंह के नाम तथा आराजी नम्बर– 664/1 , 664/2, 665/1, 665/2, 667/2, 667/3, 668/2, 668/3 किता 8 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, भूमि गणपत सिंह , गोपाल सिंह, रतनसिंह, पिता माधुसिंह तथा आराजी नम्बर– 664/3, 665/3, 667/1, 667/4, 668/1, 668/4 किता 6 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा भूमि शायर कॅवर पत्नि गणपत सिंह, भॅवरसिंह, महेन्द्र सिंह, पिता गोपाल सिंह, सूरजकॅवर पुत्री गोपाल सिंह, मंशा कॅवर पत्नि रतन सिंह, राजपूत साकिन देह के

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नाग होना प्रकट आया है ।

12– यहॉ वकील वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की आराजीयात में डोल डालकर अतिक्रमण कर रखा है इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण का कथन था कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की आराजीयात में कोई डोल नही डाल रखा है जो डोल लगा हुआ है वो वर्षो पुराना होकर प्रतिवादीगण की आराजीयात में है । विवाद की जो स्थिति बनी है वह वादीगण की आराजीयात की पत्थरगढी करनें से हुई है, पत्थरगढी गलत नपती की वजह से वादीगण में यह भम्र उत्पन्न हुआ है । फिर भी वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजीयात की नपती करवा ली जावें । इस पर वकील वादी को भी कोई आपति नही होने से न्यायालय लोक अदालत की भावना से दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश सुनाया जाना न्यायालय उचित समझता है कि–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:निर्णय:–

दावा वादी डिक्री किया जाकर गिरदावर , पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौजा धुवांलिया पटवार हल्का सरेरी तहसील हुरडा में स्थित वादीगण व प्रतिवादीगण के खातदोरी आराजीयात की भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात पर कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट सरेरी पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर-रेजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner